न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व सहायक जिलाधीश, मसूदा

राजस्व वाद पत्र सं0 77/2009

साबु उर्फ साबुदीन वल्द कालूजी आयु बालिग निवासी गांव मायला बाडिया नागली तहसील मसूदा जिला अजमेर राज0 —— **वादी**

बनाम

1. पेमा वल्द लाला
2. पदमा वल्द लाला
3. श्रीमती सुबानी पत्नी लाला
   समस्त जाति मेहरात निवासियान ग्राम मायला बाडिया नागली तहसील मसूदा जिला अजमेर।
4. राजस्थान सरकार जरिये भू–धारक तहसीलदार मसूदा।
5. राजस्थान सरकार जरिये उपपंजीयक मसूदा।

—— **प्रतिवादीगण**

6. रहीमा वल्द सल्ला मेहरात ग्राम मायला बाडिया नागली
7. हरजी वल्द सल्ला मेहरात ग्राम मायला बाडिया नागली

—— **तरतीबी प्रतिवादीगण**

वाद वास्ते घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88, 91, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

:– निर्णय :– दिनांक 30.05.2016

वादी ने अपने वाद में सारांशतः निवेदन किया है कि ग्राम मायला तहसील मसूदा जिला अजमेर स्थित अराजी खसरा न0 906/1 रकबा 03–04–00 व 963 रकबा 00–19–00 किता 2 रकबा 04–03–00 में प्रतिवादी सं0 1 से 3 के पिता व पति स्व0 लाला वल्द मल्ला ने अपना 1/5 हिस्सा वादी को दिनांक 09.04.2001 को बिल एवज प्रतिफल विक्रय कर कब्जा भूमि संभला दिया था। बरोज खरीद से वादी इसमें काबिज चला आ रहा है लेकिन वादी के नाम इसका अमल नहीं करने से लाला की विरासत से प्रतिवादी सं0 1 से 3 के नाम लगा दी गई है। जिसका वे नाजायज लाभ उठा कर हस्तांतरण आदि करने पर आमादा है अतः वाद डिक्री कर वादी को स्व0 लाला के 1/5 हिस्से में खातेदार घोषित कर प्रतिवादी सं0 1 से 3 के स्थान पर वादी का नाम लगाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा वादी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी आदि से निषेध किया जावे।

आज पत्रावली न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प मायला पर पेश हुई। पक्षकारान ने उपस्थित होकर अवगत कराया कि उनमें राजीनामा हो गया है। वादी का नाम प्रतिवादी सं0 1 से 3 के स्थान पर राजस्व अभिलेख में लगाा दिया जावे। पक्षकारान की पहचान उपस्थित सरपंच ग्राम पंचायत मायला ने की।

पक्षकारान की सहमति पर ग्राम मायला स्थित अराजी खसरा न0 906/1 रकबा 03–04–00 व 963 रकबा 00–19–00 किता 2 रकबा 04–03–00 में प्रतिवादी सं0 1 से 3 के स्थान पर वादी साबु उर्फ साबुदीन के नाम का राजस्व अभिलेख में अमल करने के आदेश पारित किये जाते हैं। तहसीलदार मसूदा पालना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2016 को "न्याय आपके द्वार" कार्यक्रम मुकाम मायला पर मजमें आम में सुनाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.24 17:21:36 IST
Reason: SelfAttested